ICFAI University webcasts Online Discussion on Right to Life and Livelihood during COVID19 – May 20, 2020

रांची एक्सप्रेस
रांची, गुरुवार, 21 मई, 2020
सिटी एक्सप्रेस
epaper.ranchiexpress.org
3

इकफाई विवि में कोविड-19 के दौरान जीवन और आजीविका के अधिकार पर ऑनलाइन चर्चा

संवाददाता

रांची : बुधवार को कोविड-19 महामारी के दौरान इकफाई विश्वविद्यालयए झारखंड द्वारा 'मौलिक अधिकारों के संरक्षण और सरकार के कर्तव्य' पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में अमित कुमार दास, संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ और झारखंड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता और धनबाद के एक अनुभवी वकील प्रदीप भट्टाचार्य पैनलिस्ट थे। चर्चा में कई लॉ छात्रों और संकाय सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चर्चा का संचालन इकफाई विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने किया।

चर्चा में स्वास्थ्य के अधिकार और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को कवर किया गया तथा साथ ही साथ प्रवासी श्रम के विशिष्ट संदर्भ में उनके अधिकारए व्यवसाय और व्यवसाय के पहलुओं पर भी चर्चा की गई। जो इस ऑनलाइन चर्चा में भाग नहीं ले थे, वे इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देख सकते हैं।

चर्चा में भाग लेने वालों का स्वागत करते हुएए प्रोफेसर ओ आर एस राव ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव और लोगों के जीवन और आजीविका के प्रभाव की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत सरकार ने अब तक किस तरह आजीविका की तुलना में जीवन की रक्षा को अधिक महत्व दियाए जिससे अन्य देशों की

तुलना में कोरोना वायरस का बेहतर समावेश सुनिश्चित हुआ। अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार

शामिल है और यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्वास्थ्य देखभाल की सभी संभव सुविधाएं प्रदान करके अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। हालांकिए उन्होंने महामारी की ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली में अपर्याप्तता पर भी प्रकाश डाला।

प्रो राव ने प्रवासी श्रमिकों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। चर्चा में आजीविका के अधिकार के साथ जीवन के अधिकार ६ आंदोलन के अधिकार ६ व्यापार के अधिकारए व्यवसाय और व्यवसाय के बीच संभावित संघर्ष पर एक चर्चा हुई। श्री अमित कुमार दास ने कहा कि ये सभी अधिकार मौलिक अधिकारों और राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों का अभिन्न अंग हैं और इन सभी की गारंटी भारत जैसे लोकतंत्र में राज्य का प्राथमिक कार्य है। हालांकिए इनमें से कोई भी अधिकार उनके स्वभाव में निरपेक्ष नहीं है और राज्य जनहित में इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावाए जीवन का अधिकार और आजीविका का अधिकार को एक दूसरे का पूरक माना जाता है।पैनल ने छात्रों द्वाराए इस कोविद.19 के दौरान पीड़ित श्रमिकों के अधिकारों और नौकरियों के नुकसानए मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन के संबंध में पूछे गए सवालों को भी संबोधित किया। चर्चा में पैनल द्वारा कहा गया की प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को स्थानीय सरकारों द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता हैए जहां प्रवासी श्रमिक काम कर रहे हैं। प्रवासी मजदूर की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है ताकि वे अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर विभिन्न लाभार्थी योजनाओं से वंचित न हों।

चर्चा का समापन करते हुएए प्रोफेसर ओ आर एस राव ने कहा कि न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि मौलिक अधिकारों को उपयुक्त कानून के साथ-साथ मुकदमेबाजी में भी मदद मिलती है।

आजीविका की तुलना में जीवन रक्षा को महत्व दिया गया

- इक्फाइ विवि में पैनल चर्चा का आयोजन, वीसी ने कहा

रांची. इक्फाइ विवि के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 में आजीविका की तुलना में जीवन की रक्षा को अधिक महत्व दिया. इससे अन्य देशों की तुलना में कोरोना वायरस का बेहतर समावेश सुनिश्चित हुआ. प्रो राव बुधवार को इक्फाइ विवि में कोविड-19 महामारी के दौरान झारखंड में मौलिक अधिकारों के संरक्षण और सरकार के कर्तव्य पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा में बोल रहे थे.

झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एके दास ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता है, ताकि वे अपने राशन कार्ड के आधार पर विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सकें. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्वास्थ्य की देखभाल की सभी संभव सुविधाएं देकर दायित्व को पूरा किया है. मौके पर अधिवक्ता प्रदीप भट्टाचार्या भी विशेष रूप से उपस्थित थे. चर्चा में छात्रों ने पीड़ित श्रमिकों के अधिकार, नौकरियों का नुकसान और मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन के संबंध में कई सवाल पूछे.

प्रभात खबर
Thu, 21 May 2020
https://epaper.prabhatkhabar.com

the pioneer

RANCHI | THURSDAY | MAY 21, 2020

ONLINE DISCUSSION WEBCAST BY ICFAI

Today an online panel discussion was organised by ICFAI University, Jharkhand on "Protection of Fundamental Rights and Corresponding duty of government during COVID-19 Pandemic". The panellist were Amit Kumar Das, Expert on Constitutional Law and Practising Advocate at Jharkhand High Court and Pradeep Bhattacharyya, a veteran advocate from Dhanbad. A number of Law students and faculty members actively participated in the discussion. The discussion was moderated by Prof O R S Rao, Vice-Chancellor of ICFAI University Jharkhand. The discussion covered interesting issues like protection of right to Health and Healthcare aspects, whether it conflicts with the Right to Movement and Carry trade, profession and occupation, with specific reference to the Migrant Labour.

ICFAI University webcasts Online Discussion on Right to Life and Livelihood

MI NEWS SERVICE

RANCHI: An online panel discussion was organised by ICFAI University, Jharkhand on "Protection of Fundamental Rights and Corresponding duty of government during COVID-19 Pandemic". The panellist were Mr Amit Kumar Das, Expert on Constitutional Law and Practising Advocate at Jharkhand High Court and Mr Pradeep Bhattacharyya, a veteran advocate from Dhanbad. A number of Law students and faculty members actively participated in the discussion. The discussion was moderated by Prof O R S Rao, Vice-Chancellor of ICFAI University Jharkhand.

The discussion covered interesting issues like protection of right to Health and Healthcare aspects, whether it conflicts with the Right to Movement and Carry trade, profession and occupation, with specific reference to the Migrant Labour. It also covered with regard to programs, policies and provision of relief measures to the affected people, equitably. Those that could not participate, can view the discussion on You Tube (https://youtu.be/F6bMckYygoE)

Welcoming the participants to the discussion, Prof O R S Rao gave a brief background of the impact of COVID-19 Pandemic and its impact of Life and Livelihood of people. He also highlighted how Government of India, so far, gave more importance to protecting life than livelihood, which ensured better containment of the Corona Virus, compared with other countries. Advocate Amit Kumar Das endorsed that the

Right to Life includes the Right to Health and Right to Health Care and asserted that both the Central and the State Government are fulfilling their obligations by providing all possible facilities of health care. However, he also highlighted the inadequacies in the legal system to deal such situation of pandemic.

Prof Rao referred to the issues faced by the migrant labour and efforts put in by the central government and state governments to address their concerns. A discussion was held on possible conflict between the Right to Life with Right to Livelihood/Right to Movement/Right to Trade, Profession and Occupation . Mr Amit Kumar Das expressed that all these rights are integral part of the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policies and the guarantee of all of them is the primary function of the State in a democracy like India. However, none of these rights are absolute in their nature and the State can apply reasonable restrictions on them in the public interest. Besides, Right to Life and Right to livelihood are considered to be complementary.

The panel also addressed the questions posed by the students dealing with issues of the migrant laborers and their sufferings, rights of the aggrieved workmen during this COVID-19 in respect to their wages and the loss of jobs, amendment in the existing labor laws by the different State Governments and the implementation aspect of the relief packages announced by the Government during COVID-19. The plights of the migrant laborers need to be addressed by the local governments, where the migrant labour is working. There is a need for clear definition of migrant laborer so that they are not deprived of various beneficiary schemes on the basis of their Ration Cards and Aadhar Cards. Any citizen of India may approach to the Supreme Court and the respective High Courts through the Article 32 or Public Interest Litigation for the purpose of realization of economic and civil rights and also against any discriminatory treatment.

Concluding the discussion, Prof O R S Rao highlighted that Judiciary played an important role in ensuring that fundamental rights are protected through help in appropriate legislation as well as in litigation.

http://khabarmantra.live खबर मन्त्र
04 रांची, गुरुवार 21 मई 2020 web www.khabarmantra.com

इकफाई विवि में ऑनलाइन पैनल पर चर्चा

प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर मंथन

खबर मन्त्र संवाददाता

रांची। कोविड -19 महामारी के दौरान इकफाई विश्वविद्यालय, झारखंड द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण और सरकार के कर्त्तव्य पर एक ऑनलाइन पैनल चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता प्रदीप भट्टाचार्य पैनलिस्ट थे। चर्चा में कई लॉ छात्रों और संकाय सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चर्चा का संचालन इकफाई विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति प्रो ओआरएस राव ने किया। चर्चा में स्वास्थ्य के अधिकार और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को कवर किया गया तथा प्रवासी श्रम के विशिष्ट संदर्भ में उनके अधिकार, व्यवसाय और व्यवसाय के पहलुओं पर भी चर्चा की गई। इस ऑनलाइन चर्चा में भाग नहीं ले थे, वे इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर देख सकते हैं। मौके पर प्रोफेसर ओआरएस राव ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव और लोगों के जीवन और आजीविका के प्रभाव की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दी। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत सरकार ने अब तक किस तरह आजीविका की तुलना में जीवन की रक्षा को अधिक महत्व दिया, जिससे अन्य देशों की तुलना में कोरोना वायरस का बेहतर समावेश सुनिश्चित हुआ। अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार शामिल हैं और यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्वास्थ्य देखभाल की सभी संभव सुविधाएं प्रदान करके अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने महामारी की ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली में अपर्याप्तता पर भी प्रकाश डाला। प्रो राव ने प्रवासी श्रमिकों और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। चर्चा में आजीविका के अधिकार के साथ जीवन के अधिकार ,आंदोलन के अधिकार,व्यापार के अधिकार, व्यवसाय और व्यवसाय के बीच संभावित संघर्ष पर एक चर्चा हुई। अधिवक्ता अमित कुमार दास ने कहा कि ये सभी अधिकार मौलिक अधिकारों और राज्य नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों का अभिन्न अंग हैं। इन सभी की गारंटी भारत जैसे लोकतंत्र में राज्य का प्राथमिक कार्य है। पैनल ने छात्रों द्वारा, इस कोविड-19 के दौरान पीड़ित श्रमिकों के अधिकारों और नौकरियों के नुकसान, मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दिया। चर्चा में पैनल द्वारा कहा गया की प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को स्थानीय सरकारों द्वारा निदान करने की आवश्यकता है। वहीं प्रवासी मजूदर की स्पष्ट परिभाषा देने की आवश्यकता है ताकि वे अपने राशन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर विभिन्न लाभार्थी योजनाओं से वंचित न हों।